कार्यालय : मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकरण आदेश

दिल्ली, 15 मार्च, 2010

फा. सं. 10 (1108)/मु. स. (मुख्या.)/स. शु./08/10916.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का. आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री योकोहामा इंडिया प्रा.लि., के-43, दूसरी मंजिल, जंगपुरा, एक्सटेन्शन, नई दिल्ली, द्वारा जारी किए जाने वाले रुपए 32,00,000 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या एन-24420001 से एन-24740000 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपए 3,200 (रुपए तीन हजार दो सौ) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

OFFICE OF THE CHIEFCONTROLLING REVENUE AUTHORITY ORDERS

Delhi, the 15th March, 2010

F. No. 10(1108)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/10916.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. YOKOHAMA INDIA PRIVATE LIMITED, K-43, 2nd Floor, Jangpura Extension, New Delhi shall pay a consolidated stamp duty of Rs.3,200 (Rs. Three Thousand Two Hundred) only on the aggregate value of shares of Rs. 32,00,000 for equity Share Certificates with Distinctive Nos. N-24420001 to N-24740000 to be issued by the said company.

फा. सं. 10 (1115)/मु. स. (मुख्या.)/स. शु./08/10918.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का. आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री कैरिफोर डब्ल्यूसी एन्ड सी इंडिया प्रा.लि., 216, ओखला इंडस्ट्रियल इस्टेट, फेस-III, दिल्ली द्वारा जारी किए जाने वाले रुपए 40,00,00,000 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 107315001 से 147315000 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपए 4,00,000 (रुपए चार लाख) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

F. No. 10(1115)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/10918.—In exercise of the powers conferred by clause (b)

of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. CARREFOUR WC & CINDIA PRIVATE LIMITED, 216, Okhla Industrial Estate, Phase-III, Delhi shall pay a consolidated stamp duty of Rs.4,00,000 (Rs. Four Lac) only on the aggregate value of shares of Rs. 40,00,00,000 for equity Share Certificates with distinctive Nos. 107315001 to 147315000 to be issued by the said company.

फा. सं. 10 (1116)/मु. स. (मुख्या.)/स. शू./08/10919.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का. आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री एवेन्सा कैमिकल सौलूशन्स प्रा. लि., 3, पदिमनी एन्कलेव, होजखास, नई दिल्ली-110016 द्वारा जारी किए जाने वाले रुपए 39,48,250 मूल्य के इिक्वटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 10001 से 404825 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपए 3949 (रुपए तीन हजार नौ सौ उनचास) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

F. No. 10(1116)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/10919.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Avensa Chemical Solutions Private Limited, 3, Padmini Enclave, Hauz Khas, New Delhi-110016 shall pay a consolidated stamp duty of Rs.3949 (Rs. Three Thousand Nine Hundred Forty Nine) only on the aggregate value of shares of Rs. 39,48,250 for equity Share Certificates with distinctive Nos. 10001 to 404825 to be issued by the said company.

फा. सं. 10 (1128)/मु, स. (मुख्या.)/स. शु./08/10920.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का. आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री आईएफसीआई वेंचर कैपिटल फन्ड्स लि., आईएफसीआई टावर, 61 नेहरू प्लेस, नई दिल्ली-110019 द्वारा जारी किए जाने वाले रुपए 49,99,99,977 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 34110506 से 60371008 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपए 5,00,000 (रुपए पांच लाख) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

F. No. 10(1128)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/10920.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. IFCI Venture Capital Funds Limited, IFCI Tower, 61 Nehru Place, New Delhi-110019 shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 5,00,000 (Rs. Five Lac) only on the aggregate value of shares of Rs. 49,99,99,977 for equity Share Certificates with distinctive Nos. 34110506 to 60371008 to be issued by the said company.

दिल्ली, 16 मार्च, 2010

फा. सं. 10 (1125)/मु. स. (मुख्या.)/स. शु./08/10929.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का. आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री सूर्य विनायक एग्रो फार्मस् लि., ई-3, मंगोलपुरी इंडस्ट्रियल एरिया, फेस-II, नई दिल्ली-110034 द्वारा जारी किए जाने वाले रुपए 2790000 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 500001 से 3290000 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपए 2790 (रुपए दो हजार सात सौ नब्बे) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

Delhi, the 16th March, 2010

F. No. 10(1125)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/10929.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Surya Vinayak Agro Industries Limited, E-3, Mangolpuri Industrial Area, Phase-II, Delhi-110034 shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 2,790 (Rs. Two Thousand Seven Hundred Ninety) only on the aggregate value of shares of Rs. 27,90,000 for equity Share with distinctive Nos. 500001 to 3290000 to be issued by the said company.

दिल्ली, 17 मार्च, 2010

फा. सं. 10 (1119)/मु. स. (मुख्या.)/स. शु./08/10954.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का. आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी

निर्देश देते हैं कि सर्वश्री एटीएस सर्विसेज प्रा.लि. ए-2, नारायणा इंडस्टियल एरिया, फेस-II, नई दिल्ली-110028 द्वारा जारी किए जाने वाले रुपए 83,00,000 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 8368014 से 9198013 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपए 8,300 (रुपए आठ हजार तीन सो) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

Delhi, the 17th March, 2010

F. No. 10(1119)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/10954.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. ATS Services Private Limited, A-2, Naraina Industrial Area, Phase-II, New Delhi-110028 shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 8,300 (Rs. Eight Thousand Three Hundred) only on the aggregate value of shares of Rs. 83,00,000 for equity Share Certificates with distinctive Nos. 8368014 to 9198013 to be issued by the said company.

फा. सं. 10 (1120)/मु. स. (मुख्या.)/स. शु./08/10955.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का. आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शिक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री मेडिकामेन ओरगिनक्स लि., 10, कम्युनिटी सेन्टर नं. 2, अशोक विहार, फेस-II, नई दिल्ली-110052 द्वारा जारी किए जाने वाले रुपए 1,86,40,000 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 1000001 से 2000000 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपए 18,640 (रुपए अट्ठारह हजार छ: सौ चालीस) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

F. No. 10(1120)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/10955.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Medicamen Organics Limited, 10, Community Centre No. 2, Ashok Vihar, Phase-II, New Delhi-110052 shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 18,640 (Rs. Eighteen Thousand Six Hundred Forty) only on the aggregate value of shares of Rs. 1,86,40,000 for equity Share Certificates with distinctive Nos. 1000001 to 20000000 to be issued by the said company.

फा. सं. 10 (1118)/मु. सं. (मुख्या.)/स. शु./08/ 10956.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का. आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शिक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री आरवी सोलुशन्स प्रा. लि., 261, गुलमोहर इन्कलेव, नई दिल्ली-110049 द्वारा जारी किए जाने वाले रुपए 24,00,000 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक् संख्या 10,001 से 2,50,000 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपए 2,400 (रुपए दो हजार चार सौ) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

F. No. 10(1118)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/10956.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. RV Solutions Private Limited, 261, Gulmohar Enclave, New Delhi-110049 shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 2400 (Rs. Two Thousand Four Hundred) only on the aggregate value of shares of Rs. 24,00,000 for equity Share Certificates with distinctive Nos. 10,001 to 2,50,000 to be issued by the said company.

फा. सं. 10 (1122)/मु. स. (मुख्या.)/स. शु./08/10970.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का. आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री इंडिया 4 मोशन ब्रोडबैण्ड वायरलेस नेटवर्क प्रा. लि., ए-238-239, लोअर ग्राउंड फ्लोर, भीष्म पितामह मार्ग, डिफेन्स कालोनी, नई दिल्ली-110024 द्वारा जारी किए जाने वाले रुपए 22,81,500 मूल्य के इिक्वटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 10,001 से 2,38,150 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपए 2,282 (रुपए दो हजार दो सौ बयासी) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

F. No. 10(1122)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/10970.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. India 4 Motion Braodband Wireless Network Private Limited, A-238-239, Lower Ground Floor, Bhishm Pitamah Marg, Defence Colony, New Delhi-110024 shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 2,282 (Rs. Two Thousand

Two Hundred Eighty Two) only on the aggregate value of shares of Rs. 22,81,500 for equity Share Certificates with distinctive Nos. 10,001 to 2,38,150 to be issued by the said company.

दिल्ली, 18 मार्च, 2010

फा. सं. 10 (917)/मु. स. (मुख्या.)/स. शु./08/10984.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का. आ. 148(अ), दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री लाइफ इन्स्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, डी.ओ.—II, स्कोप मीनार, नौवी मॉजल, लक्ष्मी नगर, दिल्ली—110092 द्वारा अग्रिम मुद्रांक शुल्क के रूप में रुपये 75,00,000 (रुपये पिछत्तर लाख) जो कि उनके द्वारा अप्रैल 2010 से जून 2010 तक जारी की जाने वाली विभिन्न बीमा पोलिसियों पर देय होगा । कम्पनी उक्त अवधि के समाप्त होने के तुरन्त बाद या उक्त मुद्रांक शुल्क के पूरी तरह उपयोग होने के तुरन्त बाद जो भी पहले हो इस राशि के उपयोग का प्रमाण-पत्र जो कि चार्टड एकाउन्टेंट द्वारा जारी एवं प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रति हस्ताक्षरित हो इस कार्यालय में जमा करेगी ।

Delhi, the 18th March, 2010

F. No. 10(917)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/ 10984.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Life Insurance Corporation of India, D.O.-II, Scope Minar, 9th Floor, Laxmi Nagar, Delhi-110092 shal pay a consolidated stamp duty of Rs. 75,00,000 (Rs. Seventy Five Lac) only in advance chargeable on policy of Insurance to be issued by the said company during the period 1-4-2010 to 30-6-2010 subject to condition that company shall submit a certificate issued by Chartered Accountant and countersigned Authorised Signatory regarding the utilisation of above-said stamp duty immediately after completion of above-said period or after consumption of above amount whichever is earlier.

फा. सं. 10 (1105)/मु. स. (मुख्या.)/स. शु./08/10985.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का. आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री एसकेई एंड सी इंडिया प्रा.लि. 106, आनन्द लोक, नई दिल्ली-110049 द्वारा जारी किए जाने वाले रुपए 6,14,72,000 मुल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक

संख्या 1,16,48,666 से 1,77,95,865 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपए 61,472 (रुपए इकझट हजार चार सौ बहत्तर) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भूगतान उक्त कम्पनी करेगी।

F. No. 10(1105)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/10985.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. SK E&C India Private Limited, 106 Anand Lok, New Delhi-110049 shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 61,472 (Rs. Sixty One Thousand Four Hundred Seventy Two) only on the aggregate value of shares of Rs. 6,14,72,000 for equity Share Certificates with distinctive Nos. 11648666 to 17795865 to be issued by the said company.

फा. सं. 10 (1121)/मु. स. (मुख्या.)/स. शु./08/10986.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का. आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि आर्टसना इंडिया प्रा. लि. ए-10, ग्रीन पार्क, नई दिल्ली-110016 द्वारा जारी किए जाने वाले रुपए 1,00,00,000 मूल्य के इंक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 1 से 1000000 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपए 10,000 (रुपए दस हजार) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी कर्रेगी।

F. No. 10(1121)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/10986.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Artsana India Private Limited, A-10, Green Park, New Delhi-110016 shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 10,000 (Rs. Ten Thousand) only on the aggregate value of shares of Rs. 1,00,00,000 for equity Share Certificates with distinctive Nos. 1 to 10,00,000 to be issued by the said company.

फा. सं. 10 (1124)/मु. स. (मुख्या.)/स. शु./08/10987.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का. आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सेवन एन कन्सलिटंग प्रा. लि. सेवन एन इंडिया, लेवल 4, रेक्टेंगल 1, कमिशियल कम्पलेक्स, डी 4, साकेत, नई दिल्ली–110017 द्वारा जारी किए जाने वाले रुपए 99,00,000

मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 10001 से 1000000 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपए 9,900 (रुपए नौ हजार नौ सौ) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

Delhi, the 18th March, 2010

F. No. 10(1124)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/10987.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Seven N Consulting Private Limited, 7N India, Level 4, Rectangle No. 1, Commercial Complex D4, Saket, New Delhi-110017 shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 9,900 (Rs. Nine Thousand Nine Hundred) only on the aggregate value of shares of Rs. 99,00,000 for equity Share Certificates with distinctive Nos. 10001 to 1000000 to be issued by the said company.

फा. सं. 10 (1117)/मु. स. (मुख्या.)/स. शु,/08/10988.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का. आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि दर्शन फूड्स प्रा. लि. सी-34, लारेंस रोड इंडस्ट्रियल एरिया, दिल्ली द्वारा जारी किए जाने वाले रुपए 2,67,21,600 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 2600001 से 2867216 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपए 26,722 (रुपए छब्बीस हजार सात सौ बाईस) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

F. No. 10(1117)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/10988.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Darshan Foods Private Limited, C-34, Lawrance Road Industrial Area, Delhi shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 26,722 (Rs. twenty Six Thousand Seven Hundred Twenty Two) only on the aggregate value of shares of Rs. 2,67,21,600 for equity Share Certificates with distinctive Nos. 2600001 to 2867216 to be issued by the said company.

फा, सं. 10 (1166)/मु, स. (मुख्या.)/स. शु./08/10989.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का. आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय

राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स, ई-ब्लॉक, कनाट प्लेस, नई दिल्ली-110001 द्वारा जारी किए जाने वाले रुपए 3,00,00,000 मूल्य के अनसेक्योर्ड नन-कनवरटीबल सबोर्डिनेटेड परपेचुअल टियर। बोण्डस 2009-10 जो कि प्रोमोजरी नोट के रूप में है जिनकी पृथक सं. 1 से 3000 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपये 19,30,400 (रुपये उन्नीस लाख तीस हजार चार सौ) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

F. No. 10(1066)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/10989.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Oriental Bank of Commerce, E-Block, Connaught Place, New Delhi-110001 shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 19,30,400 (Rs. Ninteen Lac Thirty Thousand Four Hundred) only on the aggregate value of Rs. 3,00,00,00,000 for unsecured Non-Convertible Subordinate Perpetual Tier I Bonds 2009-10 in the nature of promissory note with Serial Nos. 1 to 3000 to be issued by the said company.

फा. सं. 10 (1112)/मु. स. (मुख्या.)/स. शु./08/10990.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का. आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री स्टेनवेक कैमिकल्स (इंडिया) लि. लोअर ग्राउंड फ्लोर, 18–19, डी-15, साउथ एक्सटेंशन-II, नई दिल्ली-110049 द्वारा जारी किए जाने वाले रुपए 20,00,000 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 0050001 से 0250000 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपए 2000 (रुपए दो हजार) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भगतान उक्त कम्पनी करेगी।

F. No. 10(1112)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/10990.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Stanvac Chemicals (India) Limited, Lower Ground Floor, 18-19, D-15, South Extension-II, New Delhi-110049 shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 2,000 (Rs. Two Thousand) only on the aggregate value of shares of Rs. 20,00,000 for equity Share Certificates with distinctive Nos. 0050001 to 0250000 to be issued by the said company.

फा. सं. 10 (1114)/मु. स. (मुख्या.)/स. शु./08/ 10991.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का. आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री हाइड्रो तस्मानिया कन्सलिटंग इंडिया प्रा.लि., 12वीं मंजिल, इरोज कोरपोरेट टावर, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली-110019 द्वारा जारी किए जाने वाले रुपए 1,48,58,000 मूल्य के इिक्वटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 7824371 से 9310170 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपए 14,858 (रुपए चौदह हजार आठ सौ अट्ठावन) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

F. No. 10(1114)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/10991.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Hydro Tasmania Consulting India Pvt. Ltd., 12th Floor, Eros Corporate Tower, Nehru Place, New Delhi-110019 shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 14,858 (Rs. Fourteen Thousand Eight Hundred Fifty Eight) only on the aggregate value of shares of Rs. 1,48,58,000 for equity Share Certificates with distinctive Nos. 7824371 to 9310170 to be issued by the said company.

फा. सं. 10 (1123)/मु, स. (मुख्या.)/स. शू./08/10992.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का. आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री एसटी एडवाईजर्स प्रा. लि., जे-6ए, कैलाश कालोनी, नई दिल्ली-110048 द्वारा जारी किए जाने वाले रुपए 4,45,00,000 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 4000001 से 4890000 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपए 44,500 (रुपए चवालिस हजार पांच सौ) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

F. No. 10(1123)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/10992.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Estee Advisors Private Limited, J-6A, Kailash Colony, New Delhi-110048 shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 44,500 (Rs. Forty Four Thousand Five Hundred) only on the aggregate value of shares of Rs. 4,45,00,000 for equity Share Certificates with distinctive Nos. 4000001 to 4890000 to be issued by the said company.

फा. सं. 10 (1106)/मु, स. (मुख्या.)/स. शू./08/10993.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का. आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री इंडियन रिनिवेबल एनर्जी डवलपमेंट एजेसी लि., इंडिया हेबीटेट सेन्टर कम्पलेक्स, कोर-4ए, प्रथम मंजिल, ईस्ट कोर्ट, पहली मंजिल, लोदी रोड, नई दिल्ली-110003; द्वारा जारी किए जाने वाले रुपए 1,50,00,00,000 मूल्य के टेक्सेबल बोण्ड सीरीज-II (डिबेन्चर) जिनकी पृथक संख्या 1 से 1500 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपए 25,00,000 (रुपए पच्चीस लाख) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी के आदेश से विनय कुमार, संयुक्त सचिव (राजस्व) F. No. 10(1106)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/10993.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Indian Renewable Energy Development Agency Limited, India habitat Centre Complex, Core-4A, East Court, 1st Floor, Lodhi Road, New Delhi-110003 shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 25,00,000 (Rs. Twenty Five Lakh) only on the aggregate value of debentures of Rs. 1,50,00,00,000 for issue of taxable bonds (series II) in the nature of debentures bearing distinctive Nos. 1 to 1500 to be issued by the said company.

By Order,

Of Chief Controlling Revenue Authority Government of National Capital Territory of Delhi,

VINAY KUMAR, Jt. Secy. (Revenue)